

मुख्यमंत्री

प्रलिस के लयः

अवशुवास प्रसुताव, मुख्यमंत्री से संबधति वभिनिन प्रावधान

मेन्स के लयः

मुख्यमंत्री की नयुक्त और कार्यकाल, राज्यपाल और उसकी वविकाधीन शक्तयिँ, राज्यपाल पद संबधी ववाद

चरचा में क्यौं?

हाल ही में पुष्कर सहि धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री (CM) के रूप में शपथ ग्रहण की ।

- उनहोंने वर्ष 2022 की शुरुआत में होने वाले वधिनसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही पदभार ग्रहण कया है ।

प्रमुख बदि

नयुक्तः

- संवधिन के अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है क मुख्यमंत्री की नयुक्त राज्यपाल करेगा ।
 - वधिनसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नयुक्त कया जाता है ।
 - राज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकनि वास्तवकि कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास है ।
 - हालाँकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त वविकाधीन शक्तयिँ राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतषिठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती है ।
- एक वयक्ति जो राज्य वधिनसभा का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लयि मुख्यमंत्री के रूप में नयुक्त कया जा सकता है, उस समयसीमा के भीतर उसे राज्य वधिनसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है ।

CM का कार्यकालः

- मुख्यमंत्री का कार्यकाल नश्चिति नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है ।
 - राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बरखास्त नहीं कया जा सकता जब तक क वधिनसभा में बहुमत प्राप्त होता है ।
- यदविह वधिनसभा में वशुवास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहयि अन्यथा राज्यपाल उसे बरखास्त कर सकता है ।

शक्तयिँ एवं कार्यः

- मंत्रपरिषद के संबंध मेंः
 - राज्यपाल केवल उन्हीं वयक्तयिँ को मंत्री के रूप में नयुक्त करता है जनिकी सफारशि मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है ।
 - वह मंत्रयिँ के बीच वभागों का आवंटन और फेरबदल करता है ।
 - वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रपरिषद का वधितन कर सकता है, क्यौंकि मुख्यमंत्री मंत्रपरिषद का प्रमुख होता है ।
- राज्यपाल के संबंध मेंः
 - संवधिन के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है ।
 - मुख्यमंत्री द्वारा महाधविकता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदिके अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्त्वपूरण अधिकारयिँ की नयुक्तके संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है ।
- राज्य वधिनमंडल के संबंध मेंः
 - सभी नीतयिँ की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है ।
 - वह राज्यपाल को वधिनसभा भंग करने की सफारशि करता है ।

■ **अन्य कार्य:**

- वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
- वह संबंधित **कषेत्रीय परिषद** के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और एक समय में इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
- वह अंतर-राज्य परिषद और **नीति आयोग** का सदस्य होता है, इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
- आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है।
- राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है।
- वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/chief-minister>

